

कमल संदेश

वर्ष-19, अंक-01

01-15 जनवरी, 2024 (पाक्षिक)

₹20



‘हमारा उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करना और उन्हें ताकत देना है’



मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह
इन राज्यों में ‘डबल इंजन’ सरकार
दोगुने उत्साह से काम करेगी: प्रधानमंत्री



16 दिसंबर, 2023 को बिलासपुर में 'अभिनंदन समारोह' के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते हिमाचल प्रदेश भाजपा नेतागण



सुंदर नगर (हिमाचल प्रदेश) में 16 दिसंबर, 2023 को एक भव्य रोड शो के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



18 दिसंबर, 2023 को कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला के खिलाफ हुए जघन्य अत्याचार की जांच के लिए गठित 'भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम' से रिपोर्ट प्राप्त करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा



नई दिल्ली में 08 दिसंबर, 2023 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह



पटना (बिहार) में 10 दिसंबर, 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह



चेन्नई (तमिलनाडु) में 16 दिसंबर, 2023 को 'थिरुमुराई महोत्सव' के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

संपादक

प्रभात झा

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

राम नयन सिंह

कला संपादक

विकास सैनी

भोला राय

डिजिटल मीडिया

राजीव कुमार

विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण

सतीश कुमार

इ-मेल

mail.kamalsandesh@gmail.com

mail@kamalsandesh.com

फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org



मोहन यादव ने ली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ



हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई और पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बनाईं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के नेता...



10 विष्णुदेव साय ने ली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ

एक गरिमामय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के...

14 भजन लाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ

हाल ही में संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारी जीत...



18 हमारा उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करना और उन्हें ताकत देना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 दिसंबर, 2023 को...



19 मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को गुजरात के साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित...



ब्लॉग

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बरकरार रखा है / नरेन्द्र मोदी 26

अन्य

‘पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है’ 19

वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.66 प्रतिशत बढ़कर 13,70,388 करोड़ रुपये हुआ 20

कीमतों को कम करने हेतु 25 ई-नीलामी के दौरान खुले बाजार में बेचा गया 48.12 एलएमटी गेहूं 21

अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ से अधिक हुए नामांकन 21

पिछले पांच वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 17.77 लाख करोड़ रुपये के 28.89 करोड़ ऋण दिए गए 22

पिछले नौ महीनों में अंतरिक्ष स्टार्टअप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ निवेश 23

मोदी स्टोरी 24

कमल पुष्प 24

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से उचित ठहराया 25

संसद का शीतकालीन सत्र संसद के दोनों सदनों ने 19 विधेयक किए पारित 30

आपराधिक कानून विधेयकों पर केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब 33



नरेन्द्र मोदी

देश के गरीब भाई-बहनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के हमारे अथक प्रयासों का असर आज गांव-गांव में दिखाई दे रहा है।

(9 दिसंबर, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

मोदीजी ने 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। 2027 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में और 2029 में संसद में 33 प्रतिशत भागीदारी हमारी बहनों की होगी।

(16 दिसंबर, 2023)



अमित शाह

किसी को यह अधिकार नहीं कि अपना बड़ा हृदय दिखाने के लिए देश के एक हिस्से को जाने दे। हम तो एक-एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे।

(11 दिसंबर, 2023)

राजनाथ सिंह

2001 के संसद हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देनेवालों को मेरी श्रद्धांजलि। राष्ट्र उनके साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखेगा।

(13 दिसंबर, 2023)



बी.एल. संतोष

सिस्टम की समीक्षा की जाएगी, उसमें सुधार किया जाएगा, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, निश्चित रूप से इसे दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन संसद की घटना से परे यह देश की छवि फिर से खराब करने, अशांति पैदा करने, नेतृत्व को नीचा दिखाने के लिए टूलकिट गिरोह की गतिविधि है।

(14 दिसंबर, 2023)

पीयूष गोयल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी के कुशल नेतृत्व में भारत ने वैश्विक चुनौतियों का चतुराई से मुकाबला किया है और एक चमकते सितारे के रूप में उभरा है।

(16 दिसंबर, 2023)



एक अकेला सब पर भारी

YouTube पर

20M सब्सक्राइवर्स

घमंडिया गठबंधन

- @IndianNationalCongress 3.76M subscribers
- @AamAdmiParty 5.68M subscribers
- @AITCOfficial 554K subscribers
- @mkstalin speech 235K subscribers
- @MCPSpeaks 924K subscribers
- @jduonline 44.9K subscribers
- @CPMMarxist 11K subscribers
- @jdpdp 474 subscribers

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को

पोंगल, बिहु और मकर संक्रांति (14 जनवरी)
की हार्दिक शुभकामनाएं!



विकसित भारत के लिए परिवर्तनकारी विधेयक पारित

संपादकीय

धारा 370 एवं 35 (ए) को निरस्त करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय से दशकों से इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व में जनसंघ का पक्ष संवैधानिक रूप से सही प्रमाणित हुआ है। भाजपा का शुरू से ही यह मत रहा कि धारा 370 संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था तथा यह जम्मू-कश्मीर की जनता का भारत के साथ एकीकरण, उनके विकास, प्रगति एवं प्रदेश में शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मत को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के धारा 370 को निरस्त करने के आदेश को संविधान सम्मत ठहराया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी रेखांकित किया कि धारा 370 संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था एवं जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा कभी भी किसी प्रकार की स्थायी व्यवस्था नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने लद्दाख को भी केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के निर्णय को सही ठहराया है। ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व की जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा बनने के बाद देश के अन्य प्रदेशों से अलग किसी प्रकार की आंतरिक संप्रभुता नहीं रही। अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने उसी बात को पुनः स्पष्ट किया है जो संवैधानिक रूप से सर्वज्ञात था, अलगाववादियों के इशारों पर अब तक देश में संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत जो षड्यंत्र चल रहा था, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ही सुदृढ़ एवं साहसिक निर्णय से संभव हुआ है कि आज धारा 370 निरस्त हुई है तथा जम्मू-कश्मीर शांति, विकास एवं प्रगति की ओर जमीनी लोकतंत्र को जीवंत कर आगे बढ़ चला है। परिणाम यह है कि आतंकवाद-अलगाववाद जड़ से समाप्त हो रहा है तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख आज शांति, उन्नति एवं समृद्धि के नए सवरे का स्वागत कर रहा है।

‘संसद का शीतकालीन सत्र-2023’ को विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने वाले परिवर्तनकारी विधेयकों को पारित करने के लिए याद रखा जाएगा। जहां जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग

हाल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों की करारी हार का ही परिणाम था कि वे लोकतंत्र को अवरुद्ध करना चाहते थे। उनके इस लोकतंत्र-विरोधी आचरण की पूरे देश में भर्त्सना हुई है

के लोगों को नौकरी एवं व्यावसायी शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, वही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107 से 114 करता है तथा तीन मनोनीत सदस्यों का भी प्रावधान करता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023 के संसद द्वारा पारित होने के साथ ही गुलामी की मानसिकता से मुक्त दंड न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन विधेयकों से भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार होंगे, पूरी दंड न्याय प्रक्रिया गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आधुनिक न्याय प्रणाली का निर्माण होगा। इन विधेयकों से न केवल महिलाओं एवं अवयस्क बालक-बालिकाओं को सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि वर्तमान सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप नए प्रकार के अपराधों से निपटने, गिरफ्तारी, जांच-पड़ताल एवं परीक्षण के लिए एक न्यायसंगत

एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का भी निर्माण होगा, जो भारतीय मूल से जुड़ा होगा। इनके अलावा, एडवोकेट (संशोधन) विधेयक, 2023; केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023; मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कार्यकाल) विधेयक, 2023 जैसे अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पारित हुए।

जहां पूरा राष्ट्र संसद में अनेक परिवर्तनकारी विधेयकों को पारित होते हुए देख रहा था, वहीं कांग्रेसीन विपक्षी दल अपने नकारात्मकता के साथ सदन में हंगामा कर रहे थे। इस हंगामे को ढाल बनाकर वे संसद में इन विधेयकों को बाधित करना चाहते थे तथा इन पर किसी भी प्रकार की चर्चा से भाग रहे थे। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों की करारी हार का ही परिणाम था कि वे लोकतंत्र को अवरुद्ध करना चाहते थे। उनके इस लोकतंत्र-विरोधी आचरण की पूरे देश में भर्त्सना हुई है। आज जब पूरा देश विकसित भारत के संकल्पों को आत्मसात कर रहा है, देश में एक नई आशा और आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org



मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह

मोहन यादव ने ली मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ

जगदीश देवड़ा व राजेन्द्र शुक्ला बने उपमुख्यमंत्री

हाल ही में पांच राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई और पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकारें बनाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में भाजपा विधायक दल के नेता और उज्जैन दक्षिण से विधायक श्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 13 दिसंबर, 2023 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह में उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीन बार के भाजपा विधायक श्री यादव राज्य के 19वें मुख्यमंत्री हैं।

मल्हारगढ़ से विधायक श्री जगदीश देवड़ा और रीवा से विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ला को भी राज्यपाल ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी।

इस समारोह में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए। 'जय श्री राम' और 'मोदी-मोदी' के नारों से वातावरण गूंज उठा। समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और सड़कों पर नृत्य करके राज्य भर में जश्न मनाया।

शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री

श्री नितिन गडकरी एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस एवं श्री अजित पवार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्रीगण उपस्थित थे।

शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले श्री मोहन यादव ने प्रदेश भाजपा कार्यालय जाकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित किया।

मोहन यादव चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

इससे पहले, 08 दिसंबर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता के चयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्‌टर, भाजपा संसदीय बोर्ड सदस्य एवं ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मण एवं भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती आशा लाकड़ा को पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया।



भाजपा सरकार आपके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी: नरेन्द्र मोदी



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और श्री जगदीश देवड़ा एवं श्री राजेन्द्र शुक्ल को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “देश के हृदयस्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉ. मोहन यादव जी और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं राजेन्द्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई! मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी और विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। इस अवसर पर यहां के अपने सभी परिवारजनों को भी मैं ये भरोसा देता हूँ कि भाजपा सरकार आपके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।”

11 दिसंबर को पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन यादव का नाम प्रस्तावित किया। श्री मनोहर लाल खट्टर ने नए मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोहन यादव के नाम की घोषणा की। उज्जैन से तीन बार विधायक रहे श्री मोहन यादव को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। यह भी निर्णय लिया गया कि दो उपमुख्यमंत्री होंगे— श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेन्द्र शुक्ला तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे।

नाम की औपचारिक घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मोहन यादव को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। श्री चौहान ने विश्वास जताया कि श्री यादव मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

श्री मोहन यादव ने कहा, “मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ।

‘विकसित मध्य प्रदेश’ का संकल्प साकार होगा : जगत प्रकाश नड्डा



शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, “श्री मोहन यादव को मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और श्री राजेन्द्र शुक्ला व श्री जगदीश देवड़ा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार जनभावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अनवरत विकास को तेज गति प्रदान करेगी। ‘विकसित मध्य प्रदेश’ का हमारा संकल्प आपके नेतृत्व में साकार होगा।”

मैं आप सभी को, प्रदेश नेतृत्व को, केन्द्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री श्री अमित शाह को धन्यवाद देता हूँ। आपके प्यार और समर्थन से मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करूंगा।”

उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं अन्य सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे।”

मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए यह एक विशिष्ट अवसर था, क्योंकि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी ने मध्य प्रदेश में पांचवीं बार दो तिहाई बहुमत के साथ शानदार जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रचा, जिसके लिए मतगणना 03 दिसंबर को हुई थी। 230 सीटोंवाली विधानसभा में भाजपा को 48.55 प्रतिशत मतों के साथ 163 सीटें मिलीं। राज्य में कांग्रेस को 66 सीटें मिलीं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। ■

मध्य प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचायेंगे : राजनाथ सिंह



रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, “मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री मोहन यादव को हार्दिक बधाई। वे जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं और सरकार में काम करने का उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वे अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास और सुशासन की नई बुलंदियों तक पहुंचायेंगे। आज उनके साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले श्री जगदीश देवड़ा और श्री राजेन्द्र शुक्ला को भी बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।”

गरीब कल्याण के संकल्प को चरितार्थ करेंगे : अमित शाह



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा, “मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री मोहन यादव जी और उपमुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला व श्री जगदीश देवड़ा जी को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की नयी भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गरीब कल्याण और विकास के संकल्प को चरितार्थ करने का काम करेगी। साथ ही, पिछले दो दशक से जिस समर्पण से भाजपा सरकार प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है, उसे और गति एवं ऊर्जा मिलेगी।”



- डॉ. मोहन यादव 13 दिसंबर, 2023 से मध्य प्रदेश के 19वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- 25 मार्च, 1965 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में श्री पूनमचंद यादव (पिता) और श्रीमती लीलाबाई यादव (मां) के घर जन्म।
- उज्जैन विश्वविद्यालय से स्नातक (बीएससी) की डिग्री प्राप्त की और उसी विश्वविद्यालय से एलएलबी, एमए, एमबीए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त कीं।
- उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के साथ काम करना शुरू किया और 1984 में वह माधव साइंस कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष बने।
- वह 2013 से मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- श्री यादव की सक्रिय राजनीतिक यात्रा 2013 में विधायक के रूप में उनके पहले चुनाव के साथ शुरू हुई और उसके पश्चात् वह 2018 और 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में



डॉ. मोहन यादव: जीवन वृत्त

फिर से चुने गए।

- उन्होंने 2 जुलाई, 2020 को श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
- हाल ही में 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में श्री मोहन यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ भारी अंतर से जीतकर उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट बरकरार रखी।
- श्री यादव ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि सीमा से अधिक और समय सीमा के इतर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया और साथ ही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश के भीतर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया।
- मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें 2011-2012 और 2012-2013 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया।





छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह

विष्णुदेव साय ने ली छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ

अरुण साव एवं विजय शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली

भाजपा विधायक दल के नेता एवं कुनकुरी से विधायक श्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर, 2023 को रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि लोरमी सीट से विधायक श्री अरुण साव एवं कवर्धा सीट से विधायक श्री विजय शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित एक विशाल समारोह के दौरान श्री विष्णुदेव साय एवं दोनों उपमुख्यमंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री बीएल संतोष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस एवं श्री अजित पवार, पूर्व

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित अनेक केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेतागण शामिल हुए।

श्री विष्णुदेव साय की 1990 में छत्तीसगढ़ में एक सरपंच के रूप में शुरू हुई राजनीतिक यात्रा कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ी। वे कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री बने। वह अपनी विनम्रता और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। 2014 में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद वह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहली मंत्रिपरिषद् के सदस्य बने। वह छत्तीसगढ़ राज्य, जिसे वर्ष 2000 में बनाया गया था, के चौथे मुख्यमंत्री हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के तीन बार अध्यक्ष रह चुके 59 वर्षीय श्री साय राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। श्री साय अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण, समर्पण और लक्ष्यों को प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं।

विष्णुदेव साय चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

इससे पहले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 08 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, श्री सर्बानंद

**प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए
डबल इंजन सरकार प्रतिबद्ध है: नरेन्द्र मोदी**



प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री विष्णु देव साय को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा, “छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णु देव साय जी और उपमुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं विजय शर्मा जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं! मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस राज्य की भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

**डबल इंजन सरकार लिखेगी सेवा,
सुशासन और विकास का स्वर्णिम
अध्याय: जगत प्रकाश नड्डा**



श्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री और श्री अरुण साव व श्री विजय शर्मा को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में सेवा, सुशासन और विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। ‘अंत्योदय’ का हमारा संकल्प जनजातीय समाज सहित समग्र प्रदेशवासियों के सर्वांगीण उत्कर्ष को साकार स्वरूप प्रदान करेगा।

सोनोवाल एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दुष्यंत गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने 10 दिसंबर को रायपुर में सभी नवनिर्वाचित 54 विधायकों से एक-एक करके चर्चा की और विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री विष्णुदेव साय को अपना नेता चुना। विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने श्री विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा की। बाद में, श्री साय ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्व भूषण हरिचंदन से भेंट की।

भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री साय ने कहा, “मुझे सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं भाजपा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा और

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी श्री ओम माथुर, सह-प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और सह-प्रभारी श्री नितिन नबीन का भी आभार व्यक्त करता हूं।”

उन्होंने कहा, “मेरी पहली प्राथमिकता प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गयी ‘गारंटी’ को ईमानदारी के साथ पूरा करना है, जिसमें 18 लाख गरीब परिवारों को घर देने के साथ वर्ष 2015-16 और 2016-17 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान बेचने वाले किसानों को लंबित बोनस का भुगतान करना शामिल है।”

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने हाल ही में 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए संपन्न चुनावों में 54 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। 2018 में 68 सीटें जीतनेवाली कांग्रेस 35 सीटों पर

छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर बहुत
आगे ले जाने में यह टीम पूरी तरह
सक्षम: राजनाथ सिंह



रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर अपने संदेश में सफल कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा, "छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले श्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा को बहुत बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में यह टीम, छत्तीसगढ़ को प्रगति पथ पर बहुत आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। सभी को एक सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं।"

जन हितैषी सरकार चुनने के लिए छत्तीसगढ़
की जनता का आभार: अमित शाह



केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, "श्री विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और श्री अरुण साव जी व श्री विजय शर्मा जी को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बहुत-बहुत बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के हमारे जनजातीय, किसान व गरीब बहनों-भाइयों के जीवनस्तर को ऊपर उठाना और भ्रष्टाचार मुक्त शासन-व्यवस्था देना भाजपा सरकार की प्राथमिकता होगी। एक जनहितैषी और जनसमर्पित सरकार चुनने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं।"



- श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वह राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं।
- उनका जन्म 21 फरवरी, 1964 को जशपुर जिले के बगिया गांव में एक किसान परिवार में श्री राम प्रसाद साय और श्रीमती जशमनी देवी के घर हुआ था।
- उन्होंने 1989 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और बगिया ग्राम पंचायत के पंच के रूप में चुने गए और अगले वर्ष वे आदिवासी बहुल जशपुर जिले में निर्विरोध सरपंच बन गए।
- बचपन से ही श्री साय की लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता सर्वविदित है। उनके दादा बुधनाथ साय 1947 से 1952 तक मनोनीत विधायक थे। उनके बड़े चाचा नरहरि प्रसाद साय जनसंघ के सदस्य थे और दो बार विधायक (1962-67 और 1972-77) रहे और एक सांसद (1977-79) के रूप में चुने गए और



विष्णुदेव साय: जीवन वृत्त

प्रदेश में जनता पार्टी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनके चाचा केदारनाथ साय भी जनसंघ के सदस्य थे और तपकरा से विधायक (1967-72) रहे।

- वह तपकरा निर्वाचन क्षेत्र से 1990-1998 तक दो बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे।
- छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उन्होंने 2006, 2014 और 2020 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- श्री साय लगातार चार बार 1999, 2004, 2009 और 2014 में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए।
- 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और इस्पात एवं खान राज्य मंत्री बनाया गया।
- उन्हें कुनकुरी से चुनाव मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने कांग्रेस के वर्तमान विधायक यूडी मिंज को 25,541 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की।

सिमट गई, जबकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुई। भाजपा ने इस बार आदिवासी बहुल सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 17 सीटें जीत लीं। भाजपा ने आदिवासी बहुल सरगुजा क्षेत्र में सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों में

जीत हासिल की, जहां से श्री साय आते हैं और बस्तर क्षेत्र में 12 में से 8 सीटें जीतीं। आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की व्यापक जीत ने विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत और पांच साल के अंतराल के बाद राज्य में पुनः साकार बनाने में योगदान दिया। ■





भजन लाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ

दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

हाल ही में संपन्न राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनायी और श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रदेश की राजधानी जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित एक भव्य और शानदार समारोह में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 15 दिसंबर, 2023 को श्री भजन लाल शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे श्री भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश का दायित्व संभाला। उनके साथ श्रीमती दीया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रदेश भर से आये भाजपा विधायक और कार्यकर्ता इस क्षण के साक्षी बने और इस समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' और 'मोदी-मोदी' के नारे लगाकर इसे ऐतिहासिक बना दिया।

शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून और न्याय,

संसदीय कार्य एवं संस्कृति मंत्री (प्रभारी) श्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे एवं पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेतागण शामिल हुए।

इसके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे।

ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित इस समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं देशभर से आये विभिन्न साधु-संत भी शामिल हुए।

श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के पूर्वी जिले भरतपुर से आते हैं और वह पहली बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वह चार बार भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे। श्री शर्मा प्रदेश में भाजपा के सबसे लंबे समय तक सेवारत महामंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने सांगानेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार पुष्पेंद्र भारद्वाज के मुकाबले 1,45,162 वोट हासिल कर एक

भाजपा सरकार लोगों के विश्वास और आशा पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करेगी: नरेन्द्र मोदी



इस अवसर पर बधाई देते हुए और यह विश्वास व्यक्त करते हुए कि राजस्थान, जो अपने बहादुर लोगों के लिए जाना जाता है, नयी सरकार के तहत सुशासन, समृद्धि और विकास में नए मानक स्थापित करेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा, “राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भजन लाल शर्मा जी के साथ ही उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी को बहुत-बहुत बधाई! मुझे विश्वास है कि वीर-वीरांगनाओं का यह प्रदेश आपके नेतृत्व में सुशासन, समृद्धि और विकास के नित-नए मानदंड स्थापित करेगा। यहां के मेरे परिवारजनों ने जिस भरोसे और उम्मीद के साथ हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, उस पर खरा उतरने के लिए भाजपा सरकार जी-जान से जुटी रहेगी।”

प्रभावशाली जीत हासिल की।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 25 नवंबर को संपन्न विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की। 199 सीटों (200 सदस्यीय प्रदेश विधानसभा) पर संपन्न चुनावों में भाजपा ने 41.69 प्रतिशत वोट हासिल किया और 115 सीटें जीतीं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसके विपरीत, कांग्रेस पार्टी केवल 69 सीटें हासिल करने में सफल रही। भारत आदिवासी पार्टी को तीन सीटें और बहुजन समाज पार्टी को दो सीटें मिलीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल को एक-एक सीट मिली, जबकि निर्दलियों को आठ सीटें मिलीं।

डबल इंजन की सरकार राजस्थान को नये आयाम देगी: जगत प्रकाश नड्डा



मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, “श्री भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री और डॉ. प्रेम बैरवा एवं श्रीमती दीया कुमारी जी को उप-मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ।”

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार शौर्य व संस्कृति की भूमि राजस्थान को विकास के नए आयाम प्रदान करेगी। आपके नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब-कल्याण का हमारा संकल्प प्रदेश में शांति व समृद्धि के नए युग का सूत्रपात करेगा।

भजन लाल शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया

इससे पहले, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 08 दिसंबर, 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया था।

पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों और राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी श्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में भाजपा विधायकों ने जयपुर में बैठक की और सांगानेर से चुनाव जीते श्री भजन लाल शर्मा को 12 दिसंबर, 2023 को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा श्री भजनलाल शर्मा के नाम का मुख्यमंत्री के रूप

सरकार विकास और सुशासन के
उच्च मानक स्थापित
करेगी: राजनाथ सिंह



रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, "वीरभूमि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद्र बैरवा एवं दीया कुमारी जी को हार्दिक बधाई! मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में विकास और सुशासन के जो ऊंचे मापदंड तय किए हैं, उनको राजस्थान में भी स्थापित करने में यह नई प्रदेश सरकार अवश्य सफल होगी। सभी को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं।"

में प्रस्ताव रखा गया।

विद्याधर नगर से विधायक श्रीमती दीया कुमारी और दूदू से विधायक श्री प्रेमचंद बैरवा को उपमुख्यमंत्री चुना गया, जबकि अजमेर उत्तर से विधायक श्री वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। ■

जन-जन तक जन-कल्याण एवं
सुशासन पहुंचाएं: अमित शाह



राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा और दोनों उपमुख्यमंत्रियों को बधाई देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि कि वीरभूमि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजन लाल शर्मा जी व उपमुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती दीया कुमारी जी व प्रेमचंद बैरवा जी को शपथ लेने पर बधाई देता हूं।

मुझे विश्वास है कि यह नवनिर्वाचित भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए जनकल्याण और सुशासन को जन-जन तक पहुंचाएगी।

राजस्थान से तुष्टीकरण, भय और भ्रष्टाचार के शासन को समाप्त करने के लिए राजस्थान की जनता का अभिनंदन करता हूं।



- श्री भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर, 2023 को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 16वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं और सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- उनका जन्म 15 दिसंबर, 1967 को भरतपुर के नदबई के अटारी गांव में श्री किशन स्वरूप शर्मा और श्रीमती गोमती देवी के घर हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
- अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में शामिल हुए और नबादी एवं भरतपुर में सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया।
- उन्होंने 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें देश भर से हजारों छात्र श्रीनगर की ओर मार्च करने के लिए जम्मू में एकत्र हुए थे। इस दौरान घाटी में कश्मीरी पंडितों पर हमलों के विरोध में उधमपुर में गिरफ्तारी



भजन लाल शर्मा: जीवन वृत्त

- देने वाले कई लोगों में श्री शर्मा भी शामिल थे।
- इसके पश्चात् श्री शर्मा भाजयुमो से जुड़ गये और भाजपा भरतपुर जिला सचिव और जिला अध्यक्ष बनने से पहले वह तीन बार भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रहे।
 - एक स्वयंसेवक के रूप में वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। 1992 में वे इस मामले में जेल भी गये।
- उनका सक्रिय राजनीतिक जीवन तब शुरू हुआ, जब वे 27 साल की उम्र में दो बार गांव के सरपंच चुने गए।
 - पिछले 30 वर्षों में श्री शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन किया है।
 - उन्होंने लगातार चौथी बार राजस्थान भाजपा के महामंत्री के रूप में अपने दायित्व को निभाया और उन्हें भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता माना जाता है।
 - उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।



संगठनात्मक नियुक्ति

किरण सिंह देव बने छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 21

दिसंबर, 2023 को श्री किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। श्री देव बस्तर क्षेत्र की एकमात्र



अनारक्षित सीट जगदलपुर से पहली बार विधायक चुनकर आये हैं। इससे पहले, वह तीन साल तक जगदलपुर नगर निगम के मेयर थे। श्री देव 2018 से 2022 तक भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे और भाजपा के बिलासपुर संभाग प्रभारी के रूप में कार्य किया। ■

हमारा उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करना और उन्हें ताकत देना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 दिसंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इसके पश्चात उन्होंने सुंदरनगर में जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और वहां एक भव्य रोड शो को करने के साथ-साथ एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। बिलासपुर में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल एवं पार्टी के अन्य नेतागण उपस्थित रहे।

श्री नड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की शानदार जीत ने तथाकथित राजनीतिक पंडितों को भी स्तब्ध कर दिया है। वो सोचते हैं कि मीडिया में तो खबरें चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा गई, मध्य प्रदेश भाजपा से संभला नहीं और राजस्थान में शायद भाजपा पटखनी खा जाए, लेकिन तीन दिसंबर को आए नतीजों में जब एक के बाद एक तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनी तो इन राजनीतिक पंडितों के दिमाग चकरा गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। अब वो संस्कृति नहीं है कि नेता वादा कर भूल जाएं और पांच साल बाद फिर से नए वादे करके वोट ले जाएं। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो कहा था, वो किया है और जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। आज जनता रिपोर्ट कार्ड की राजनीति पर विश्वास करती है। इसीलिए विश्व भर में ये स्थापित हो गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी, गारंटी के पूरी होने की भी गारंटी है।

उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत 10 करोड़ 74 लाख परिवार, भारत की 40 प्रतिशत आबादी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं-चावल और 1 किलो दाल निःशुल्क पहुंचाया है। देश में आज 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं और अति गरीबी की दर भी 1 प्रतिशत से भी कम है, यह है मोदीजी की गारंटी। कोरोना के समय महिलाओं को सीधे बैंक के माध्यम से 500 रुपए की सहायता राशि पहुंचाई थी। लंबे समय से महिला अधिनियम बिल संसद में लटका हुआ था, सरकारें आई और गई लेकिन कोई इसे पारित नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा एवं विधानसभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर महिलाओं को सशक्त किया गया है।



विश्व भर में ये स्थापित हो गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी, गारंटी के पूरी होने की भी गारंटी है

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में विकास होने से और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से काले धन वाले लोगों को समस्या तो होगी ही। जहां लोकसभा के वोटों की गिनती एक दिन में पूरी हो जाती है, वहीं विपक्ष के नेताओं की अलमारी से इतनी नगदी निकलती है कि नोटों की गिनती 3-4 दिन में भी पूरी नहीं हो पाती। ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति है। हिमाचल

प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक साल के शासन में ही हिमाचल के लोगों को काफी भ्रष्टाचार झेलना पड़ा है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरा अभिनंदन किया, लेकिन ये अभिनंदन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का है। ये अभिनंदन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता का है। उन्होंने मिजोरम और तेलंगाना में भाजपा का वोट शेयर बढ़ाने के लिए भी जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। तेलंगाना में भाजपा का वोट प्रतिशत 7 से बढ़कर 14 प्रतिशत हुआ है और भाजपा की सीट एक सीट बढ़कर आठ हो गयी है। मिजोरम में भाजपा के विधायकों की संख्या 1 से दो हुई है। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा तेलंगाना में सरकार बनाएगी।

श्री नड्डा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करना और उन्हें ताकत देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं, सड़क और हाइवे का विकास हुआ है। इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगाकर विरोधियों को भी साथ लेकर भाजपा सरकार को वापस लाना है और श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ■

मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 16 दिसंबर को गुजरात के साणंद में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे करे, तब भारत पूर्ण विकसित हो उसका संकल्प लेने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 सालों में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का स्वप्न सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से अधूरा था, प्रधानमंत्री मोदीजी इसे पूरा करने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदीजी के नेतृत्व में भव्य राममंदिर भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के ही शासनकाल में हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंचा और चांद पर तिरंगा फहराया गया।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद 75 सालों में पहली बार देश की अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ हुई है और औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गरीबों के जीवनस्तर को उठाने का काम प्रधानमंत्री मोदीजी ने किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने हर गांव को सड़क से जोड़ने, हर घर में बिजली पहुंचाने, हर घर में बैंक खाता पहुंचाने और हर गरीब को प्रति माह पांच किलो अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है।

श्री शाह ने कहा कि जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब देश में कोई व्यक्ति ऐसा न हो जिसके घर में गैस सिलिंडर, शौचालय, खाना, बिजली न हो, कोई अशिक्षित न हो, ये कार्यक्रम एक ऐसे विकसित भारत की रचना का संकल्प लेने का कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदीजी ने गुजरात में शांति, विकास, समृद्धि और गरीब से गरीब व्यक्ति को 'आत्मनिर्भर' बनाने की जो परंपरा बनाई है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। ■



‘पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है’

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र देश की सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ ही प्राचीन

काल से आज तक अनेक प्रमुख शिक्षण संस्थानों का केन्द्र रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र ने समग्र देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है और आजादी से पहले और बाद इस क्षेत्र के अनेक राष्ट्रभक्तों ने देश के पुनर्विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारी संघवाद की भावना को

मजबूत करने का जो विजन दिया है, पिछले 9 साल में उसे चरितार्थ भी किया है। गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में 1157 मुद्दों को सुलझाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों में राजनीतिक मामलों पर मतभेद भुलाकर उदारवादी तरीके से मामलों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों को भी क्षेत्रीय परिषद् की बैठकों के एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के 5 किमी के भीतर बैंकों/ईडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा, देश में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSSs) की स्थापना और देश के सभी मौजूदा पैक्सों को मजबूत करना शामिल है। ■

वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.66 प्रतिशत बढ़कर 13,70,388 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2023-24 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.01 प्रतिशत बढ़ा; वित्त वर्ष 2023-24 में अग्रिम कर संग्रह 6,25,249 करोड़ रुपये हुआ जो 19.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

कें द्रीय वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 (17.12.2023 तक) में प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों से यह पता चलता है कि शुद्ध संग्रह 13,70,388 करोड़ रुपये हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 11,35,754 करोड़ रुपये था, जो कि 20.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

13,70,388 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (17.12.2023 तक) में 6,94,798 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 6,72,962 करोड़ रुपये (रिफंड के बाद) के प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) के अंतिम आंकड़े 15,95,639 करोड़ रुपये हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 13,63,649 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में हुए संग्रह की तुलना में 17.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

15,95,639 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 7,90,049 करोड़

रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 8,02,902 करोड़ रुपये का प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है। लघु मदवार संग्रह में 6,25,249 करोड़ रुपये का अग्रिम कर; 7,70,606 करोड़ रुपये का टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती); 1,48,677 करोड़ रुपये का स्व-आकलन कर; 36,651 करोड़ रुपये का नियमित आकलन कर और अन्य लघु मदों के तहत 14,455 करोड़ रुपये का कर शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 (17.12.2023 तक) में कुल अग्रिम कर संग्रह के अंतिम आंकड़े 6,25,249 करोड़ रुपये हैं, जबकि ठीक पिछले वित्त वर्ष (यानी वित्त वर्ष 2022-23) की इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह 5,21,302 करोड़ रुपये का हुआ था, जो कि 19.94 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 6,25,249 करोड़ रुपये के अग्रिम कर संग्रह में 4,81,840 करोड़ रुपये का कॉरपोरेशन टैक्स (सीआईटी) और 1,43,404 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 17.12.2023 तक 2,25,251 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं। ■

असंगठित क्षेत्र के 29.21 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर कराया अपना पंजीकरण

ई-श्रम पोर्टल पर 7 दिसंबर, 2023 तक असंगठित क्षेत्र के 29.21 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने 14 दिसंबर को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था।

राष्ट्रीय डेटाबेस को ई-श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया गया है। यह प्रावधान असंगठित कर्मचारियों को स्व-घोषणा के आधार पर स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत करने की भी अनुमति देता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आधार से जुड़े हुए सभी असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसका लक्ष्य ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करना भी है। ■

प्रधानमंत्री जन धन योजना के 51.04 करोड़ खोले गए खाते

29 नवंबर, 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कुल 51.04 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 2,08,855 करोड़ रुपये की जमा राशि है। यह बात केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने 12 दिसंबर को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क को बैंकिंग सुविधाओं और बुनियादी बैंक खाते तक पहुंच प्रदान करके देश में व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि 22 नवंबर, 2023 तक कुल 4.30 करोड़ पीएमजेडीवाई खातों में शून्य बैलेंस है, क्योंकि यह योजना पीएमजेडीवाई खातों में किसी भी न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखने की गैर-आवश्यकता की अंतर्निहित सुविधा प्रदान करती है। ■

कीमतों को कम करने हेतु 25 ई-नीलामी के दौरान खुले बाजार में बेचा गया 48.12 एलएमटी गेहूं

भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में उपलब्धता बढ़ाने एवं कीमतों को कम करने के उद्देश्य से ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल को बाजार में उतार रहा है

गेहूं और चावल की कीमतों में मुद्रास्फीति के रुझान को कम करने के उद्देश्य से खुले बाजार में गेहूं और चावल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल को बाजार में उतार रहा है। खुले बाजार में गेहूं उतारने का वर्तमान चरण 28.06.2023 से शुरू हुआ।

गेहूं

भारत सरकार ने ओएमएसएस (डी) के तहत उतारने के लिए 101.5 एलएमटी गेहूं आवंटित किया है। एफएक्यू गेहूं और यूआरएस गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य क्रमशः 2150 रुपये प्रति क्विंटल और 2125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। 14.12.23 तक कुल 25 ई-नीलामी आयोजित की गई हैं, जिसमें 48.12 एलएमटी गेहूं खुले बाजार में बेचा गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार गेहूं को आटा में परिवर्तित करने और उस आटे को आम जनता को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं के एमआरपी पर बेचने के लिए नफेड/एनसीसीएफ/केन्द्रीय भंडार/एमएससीएमएफएल जैसी अर्ध-सरकारी/सहकारी एजेंसियों को भी 21.50 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से गेहूं उपलब्ध करा रही है। इन एजेंसियों द्वारा दिनांक 14.12.23 तक 86,084 एमटी गेहूं का उठाव किया जा चुका है।

चावल

एफसीआई के पास उपलब्ध चावल की अच्छी खरीद और स्टॉक

का उपयोग पीडीएस की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ बाजार में हस्तक्षेप के लिए भी किया जाएगा।

चावल के लिए, भारत सरकार ने ओएमएसएस (डी) के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य के साथ 25 एलएमटी आवंटित किया। ई-नीलामी के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण निधि द्वारा कवर की गई लागत में 200 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर के साथ 2900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर चावल की पेशकश की जाती है। 14.12.23 तक 1.19 एलएमटी चावल खुले बाजार में निजी व्यापारियों और थोक खरीदारों को बेचा गया, जो पिछले वर्षों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि है।

उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की मांगों को पूरा करने के साथ-साथ बाजार में हस्तक्षेप करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) उपलब्ध है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न की उपलब्धता 14.12.2023 तक निम्न है:

क्र.सं	सामग्री	स्टॉक की स्थिति (एलएमटी में)
1	गेहूं	181.79
2	चावल	182.86
3	कुल	364.65

वर्तमान खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 में अब तक 237.43 एलएमटी चावल के बराबर 354.22 एलएमटी धान की खरीद की जा चुकी है। ■

अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ से अधिक हुए नामांकन

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ को पार कर गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में 79 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने की यह उपलब्धि सभी बैंकों के अथक प्रयासों से संभव हो सकी है।

एपीवाई, भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने

हाल ही में योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में एक पेज का सरल एपीवाई फ्लायर/हैंडआउट जारी करना शामिल है।

एपीवाई के तहत ग्राहक भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसार तीन गुना लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, यानी 60 वर्ष की आयु से आजीवन मासिक पेंशन 1,000 से रु. 5,000, जो उनके योगदान पर निर्भर करता है और एपीवाई में शामिल होने की आयु के आधार पर अलग-अलग होगा। ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि ग्राहक द्वारा नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। ■

पिछले पांच वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 17.77 लाख करोड़ रुपये के 28.89 करोड़ ऋण दिए गए

मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2023 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 17.77 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत धनराशि वाले 28.89 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किए गए। इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड ने 12 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं को 7.93 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के 19.22 करोड़ से अधिक

ऋण दिए गए हैं, जो इस योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या का लगभग 67 फीसदी है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र और कृषि से जुड़ी आय सृजन गतिविधियों के लिए सूक्ष्म/लघु व्यवसाय इकाइयों को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा 10 लाख रुपये तक का आनुषंगिक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। इन एमएलआई में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) शामिल हैं। ■

वर्ष 2022-23 में बिजली का कुल उत्पादन वर्ष 2021-22 की तुलना में 8.9 प्रतिशत बढ़ा

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 12 दिसंबर को बताया कि वर्ष 2022-23 में बिजली का कुल उत्पादन वर्ष 2021-22 की तुलना में 8.9 प्रतिशत बढ़ा है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2023-24 (अक्टूबर, 23 तक) में देश में उत्पादित बिजली की कुल मात्रा निम्न है:

वर्ष	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)
2020-21	13,81,855.15
2021-22	14,91,858.98
2022-23	16,24,465.61
2023-24 (अक्टूबर, 2023 तक)	10,47,439.04

उल्लेखनीय है कि बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2014 में 136 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2023 में 243 मेगावाट हो गई।

साथ ही, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं में से एक है और दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है। केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा गलियारों का निर्माण किया है और 13 नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 178000 मेगावाट है और 99000 मेगावाट की स्थापना चल रही है।

केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र को व्यावहारिक बनाने के प्रयास किये हैं। एटीएंडसी घाटा वर्ष 2013-14 में 22.62 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 16.42 प्रतिशत हो गया है। जेनकोस के सभी मौजूदा भुगतान अद्यतन हैं और जेनकोस का पुराना बकाया 1.396 लाख करोड़ रुपये से 51,268 करोड़ रुपये तक कम हो गया है।

केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमान पतन घोषित करने को दी स्वीकृति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर को सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमान पतन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होने पर सूरत विमान पतन न केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि यह राज्य के समृद्ध हीरा एवं वस्त्र उद्योगों को भी निर्बाध निर्यात-आयात संचालन की उच्चस्तरीय सुविधा प्रदान करेगा।

यह रणनीतिक रूप से एक ऐसी विशेष पहल है, जो अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को उजागर करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इससे सूरत शहर का विमान पतन अंतरराष्ट्रीय विमानन परिदृश्य में एक

प्रमुख हवाई अड्डा बन जाएगा और इस क्षेत्र में समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात भी होगा।

भारत में तेजी से प्रगति करते सूरत शहर ने उल्लेखनीय आर्थिक कौशल एवं औद्योगिक विकास का प्रदर्शन किया है। आर्थिक विकास को तेज करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राजनयिक संबंधों को सशक्त करने के उद्देश्य से सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देना अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सूरत हवाई अड्डे का अंतरराष्ट्रीय दर्जा होना यात्री यातायात और कार्गो संचालन में बढ़ोतरी के साथ ही क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। ■

पिछले नौ महीनों में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का हुआ निवेश

कें द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर को कहा कि चालू वित्त वर्ष के पिछले नौ महीनों में अप्रैल से दिसंबर 2023 तक भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। डॉ. सिंह ने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिए गए एक साहसिक निर्णय के बाद भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग जगत के साथ-साथ निजी क्षेत्र के निवेशकों से भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले अंतरिक्ष क्षेत्र में सिर्फ एक स्टार्टअप था, लेकिन इस क्षेत्र के खुलने के बाद हमारे पास लगभग 190 निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स हैं और उनमें से पहले स्टार्ट-अप वाले अब उद्यमी बन गए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुल मिलाकर वर्ष 2014 के लगभग 350 स्टार्ट-अप्स से बढ़कर आज हमारे पास यूनिकॉर्न के अलावा लगभग 1,30,000 स्टार्ट-अप हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुराने अप्रचलित नियमों को खत्म कर दिया है और प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग के माध्यम से नागरिक-केंद्रित शासन पर ध्यान केंद्रित किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि इसी तरह श्रीहरिकोटा के द्वार सभी हितधारकों के लिए खोल दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, सरकार अधिकतम सीमा तक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इच्छुक रही है और उन सभी बाधाओं या अवरोधक नियमों को दूर करना चाहती है जो बहुत सुविधाजनक नहीं थे।

स्वामित्व योजना और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए चेहरा पहचान तकनीक के अंतर्गत भूमि स्वामित्व के मानचित्रण में उपग्रहों और ड्रोन के अनुप्रयोग का हवाला देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य की खोज करने वाला पहला मिशन था।

डॉ. सिंह ने कहा कि दुनिया भविष्य में एकीकृत प्रौद्योगिकी आधारित विकास देखेगी। उन्होंने कहा कि भारत अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम टेक्नोलॉजी सहित प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

अरोमा मिशन की सफलता का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के पास अप्रयुक्त जैव संसाधनों की एक ऐसी बड़ी संपदा है, जो हिमालय से लेकर 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा तक असंतृप्त संसाधन दोहन की प्रतीक्षा कर रही है।

यह कहते हुए कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक होगा, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे मुख्य रूप से गैर-सरकारी स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा।

एनआरएफ को लागू करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ-साथ ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करता है, जो छात्रों को मानविकी और वाणिज्य जैसे अध्ययन की विभिन्न धाराओं से विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए स्विच ओवर या संयोजन की अनुमति देकर उन्हें 'उनकी आकांक्षाओं के बंदी' होने से मुक्त करता है। ■

314 पुरावशेष पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वदेश वापस लाए गए

कें द्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 18 दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान 314 पुरावशेष स्वदेश वापस लाए गए हैं। लाए गए पुरावशेषों की देशवार सूची इस प्रकार है:

देश	2019	2020	2021	2022	2023	कुल
अमरीका	-	-	158	-	105	263
ब्रिटेन	1	5	1	1	7	15
ऑस्ट्रेलिया	1	3	-	29	2	35
इटली	-	-	-	-	1	1
कुल	02	08	159	30	115	314

जब भी किसी पुरावशेष के चोरी होने के बारे में सूचना मिलती है, तो संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद चोरी हुए पुरावशेष का पता लगाने तथा उसको अवैध रूप से देश से बाहर जाने से रोकने के लिए निगरानी रखने के उद्देश्य से कस्टम एग्जिट चैनल सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 'लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है। यदि पुरावशेष की प्राचीनता और महत्व का सही आकलन हो जाता है, तो उसकी पुनर्प्राप्ति के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) के समन्वय में संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा मामले को आगे बढ़ाया जाता है।

केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 18 दिसंबर को लोकसभा में यह जानकारी दी। ■



मोदी स्टोरी



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए कश्मीरी किसान का विशेष उपहार

कश्मीर के अनंतनाग के एक खेत मजदूर इरशाद हुसैन नाइकू को वर्ष 2013 से श्री नरेन्द्र मोदी से मिलने की इच्छा थी। श्री मोदी के प्रति उनका प्यार इतना था कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने श्री मोदी के लिए उपहार खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया।

कुछ वर्षों के बाद इरशाद ने अपने एकत्रित पैसे से प्रधानमंत्री श्री मोदी के लिए एक 'फेरन' (कश्मीर की एक पारंपरिक पोशाक) सिलवाने के बारे में सोचा। वह बाजार गया और 'फेरन' के लिए अपनी पसंद का कपड़ा चुना।

बाद में, वह सोच रहे थे कि 'फेरन' सिलवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का माप कैसे लिया जाए। एक सुबह इरशाद को एहसास हुआ कि उनके पिता की शारीरिक बनावट प्रधानमंत्री श्री मोदी जैसी ही है और इसलिए उनकी माप प्रधानमंत्री श्री मोदी के माप के लिए फिट हो सकती है।

इरशाद अपने पिता के साथ एक दर्जी की दुकान पर गए और अपने पसंदीदा व्यक्ति



के लिए 'फेरन' सिलवाया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उन्हें अपना उपहार सौंपने के लिए दिल्ली आने का निर्णय लिया। दिल्ली आने के बाद इरशाद ने काफी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा कारणों से दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री श्री मोदी से न हो सकी।

इसके बाद इरशाद कश्मीर वापस लौट गये और कूरियर से 'फेरन' भेजने का फैसला लिया। उन्होंने 'फेरन' के साथ एक पत्र और अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी भेजा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल उनका उपहार स्वीकार किया, बल्कि अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान उस 'फेरन' को धारण भी किया। यहां तक कि उन्हें पीएमओ से एक फोन भी आया, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री कश्मीर में हैं और आपका भेजा 'फेरन' पहनकर श्रीनगर में भाषण दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह व्यवहार इरशाद के लिए एक भावनात्मक क्षण था। इस घटना को बताते हुए वह भावुक हो गए और कहा कि वह अपने कश्मीर की प्रगति चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री मोदी से यह भी अनुरोध किया कि जिस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात का विकास किया था, उसी प्रकार कश्मीर का भी विकास करें। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग,
संघर्ष एवं बलिदान



मुव्वला श्रीहरि राव

जन्म: 09 नवंबर, 1926

सक्रिय वर्ष: 1953-1986

जिला: प्रकाशम, आंध्र प्रदेश



आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मुव्वला श्रीहरि राव 21 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वह 1953 में जनसंघ में शामिल हुए और अपने जिले में पार्टी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनसंघ और भाजपा में कार्य करते हुए उन्होंने जिला

और प्रदेश स्तर पर विभिन्न पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन किया। 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए दिल्ली में हुए सत्याग्रह में श्रीहरि राव जी ने भी भाग लिया। वह पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने पार्टी द्वारा आयोजित अन्य सभी आंदोलनों में भाग लिया। ■

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति से उचित ठहराया

भाजपा ने किया निर्णय का स्वागत

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले (2019) को 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से उचित ठहराया। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास तत्कालीन राज्य की संविधान सभा की गैरमौजूदगी में इसे रद्द करने की शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा।

अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है जो 5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया; “अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला ऐतिहासिक है जो संवैधानिक रूप से 5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखता है।”

उन्होंने कहा कि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों की उम्मीद, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभी से ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सशक्त लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि विकास का लाभ न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के उन सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक भी पहुंचे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ा झेली है।

उन्होंने कहा कि आज का

यह निर्णय न केवल एक कानूनी फैसला है, बल्कि यह आशा की एक किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत का निर्माण करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण भी है।

भारतीय जनता पार्टी फैसले का स्वागत करती है: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को लेकर दिये गये फैसले का स्वागत करती है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के फैसले, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को बरकरार रखा है।” आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में शामिल करने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।”

धारा 370 को समाप्त करने का मोदी सरकार का निर्णय पूरी तरह संवैधानिक था: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने के निर्णय को बरकरार रखने का स्वागत किया। ‘एक्स’ पर अपनी पोस्ट के माध्यम से श्री शाह ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था।

उन्होंने कहा कि 370 समाप्त किए जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में शांति लौटी है और हिंसा से प्रभावित हुई जिंदगियों को विकास ने एक नया अर्थ दिया है। श्री शाह ने कहा कि पर्यटन, कृषि जैसे क्षेत्रों के विकास ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय में वृद्धि कर उन्हें समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि धारा 370 को समाप्त करने का मोदी सरकार का निर्णय पूरी तरह संवैधानिक था। ■

उच्चतम न्यायालय के फैसले की मुख्य बातें

- संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था।
- राष्ट्रपति के पास संविधान सभा की सिफारिश के बिना भी अनुच्छेद 370(3) को रद्द करने की घोषणा करने वाली अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।
- भारत का संविधान संवैधानिक शासन के लिए एक पूर्ण संहिता है।



सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले में भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बरकरार रखा है



नरेन्द्र मोदी

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त, 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भलीभांति माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और हर भारतीय के दिल को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। यह एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जो हर दृष्टि से अभूतपूर्व है, जहां हिमालय आकाश को स्पर्श करता हुआ नजर आता है और जहां इसकी झीलों एवं नदियों का निर्मल जल स्वर्ग का दर्पण प्रतीत होता है। लेकिन पिछले कई दशकों से जम्मू-कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता देखी गई, जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहां के हालात कुछ ऐसे थे, जिससे जम्मू-कश्मीर के परिश्रमी, प्रकृति प्रेमी और स्नेह से भरे लोगों को कभी भी रू-ब-रू नहीं होना चाहिए था।

लेकिन दुर्भाग्यवश, सदियों तक उपनिवेश बने रहने, विशेषकर आर्थिक और मानसिक रूप से पराधीन रहने के कारण, तब का समाज एक प्रकार से भ्रमित हो गया। अत्यंत बुनियादी विषयों पर स्पष्ट नजरिया अपनाने के बजाय दुविधा की स्थिति बनी रही जिससे और ज्यादा भ्रम उत्पन्न हुआ। अफसोस की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ।

देश की आजादी के समय तब के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था। लेकिन तब इसके बजाय उसी भ्रमित समाज का दृष्टिकोण जारी रखने का निर्णय लिया

करने के बारे में था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ था और वे काफी लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे। फिर भी, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे का कठिन रास्ता चुना, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीर मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए।

कई वर्षों बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में 'इंसानियत', 'जम्हूरियत' और 'कश्मीरियत' का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत भी रहा है।

मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास रहा है कि जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हुआ था, वह हमारे राष्ट्र और वहां के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं, उसे जरूर करूं। मैं हमेशा से जम्मू-कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था।

सरल शब्दों में कहें तो, अनुच्छेद 370 और 35 (ए) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सामने बड़ी बाधाओं की तरह थे। ये अनुच्छेद एक अटूट दीवार की तरह थे तथा गरीब, वंचित, दलितों-पिछड़ों-महिलाओं के लिए पीड़ादायक थे। अनुच्छेद 370 और 35(ए) के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को वह अधिकार और विकास कभी नहीं मिल पाया, जो उनके साथी देशवासियों को मिला। इन अनुच्छेदों के कारण, एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गईं। इस दूरी के कारण, हमारे देश के कई लोग, जो जम्मू-कश्मीर की समस्याओं को हल करने

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे प्रत्येक भारतीय द्वारा सदैव संजोया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त, 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी भलीभांति माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था

गया, भले ही इस वजह से दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करनी पड़ी।

मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू-कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का अवसर मिला है। मेरी अवधारणा सदैव ही ऐसी रही है जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर महज एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह विषय समाज की आकांक्षाओं को पूरा

के लिए काम करना चाहते थे, ऐसा करने में असमर्थ थे, भले ही उन लोगों ने वहां के लोगों के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस किया हो।

एक कार्यकर्ता के रूप में, जिसने पिछले कई दशकों से इस मुद्दे को करीब से देखा हो, वो इस मुद्दे की बारीकियों और जटिलताओं से भली-भांति परिचित था। मैं एक बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था— जम्मू-कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं तथा वे अपनी ताकत और कौशल के आधार पर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वे अपने बच्चों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो हिंसा और अनिश्चितता से मुक्त हो।

इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा करते समय, हमने तीन बातों को प्रमुखता दी— नागरिकों की चिंताओं को समझना, सरकार के कार्यों के माध्यम से आपसी-विश्वास का निर्माण करना तथा विकास, निरंतर विकास को प्राथमिकता देना।

मुझे याद है, 2014 में, हमारे सत्ता संभालने के तुरंत बाद, जम्मू-कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे कश्मीर घाटी में बहुत नुकसान हुआ था। सितंबर 2014 में, मैं स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर गया और पुनर्वास के लिए विशेष सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये की घोषणा भी की। इससे लोगों में ये संदेश भी गया कि संकट के दौरान हमारी सरकार वहां के लोगों की मदद के लिए कितनी संवेदनशील है। मुझे जम्मू-कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने का अवसर मिला है और इन संवादों में एक बात समान समान रूप से उभरती है— लोग न केवल विकास चाहते हैं, बल्कि वे दशकों से व्याप्त भ्रष्टाचार से भी मुक्ति चाहते हैं। उस साल मैंने जम्मू-कश्मीर में जान गंवाने वाले लोगों की याद में दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया। मैंने दीपावली के दिन जम्मू-कश्मीर में मौजूद रहने का भी फैसला किया।



मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्रिस्तरीय दौरें हुए। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उद्योग को सहायता प्रदान करने से जुड़ी पहल शामिल थीं

जम्मू एवं कश्मीर की विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमने यह तय किया कि हमारी सरकार के मंत्री बार-बार वहां जायेंगे और वहां के लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इन लगातार दौरों ने भी जम्मू एवं कश्मीर में सद्भावना कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मई 2014 से मार्च 2019 के दौरान 150 से अधिक मंत्रिस्तरीय दौरें हुए। यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। वर्ष 2015 का विशेष पैकेज जम्मू एवं कश्मीर की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प उद्योग को सहायता प्रदान करने से जुड़ी पहल शामिल थीं।

हमने खेलशक्ति में युवाओं के सपनों को साकार करने की क्षमता को पहचानते

हुए जम्मू एवं कश्मीर में इसका भरपूर सदुपयोग किया। विभिन्न खेलों के माध्यम से हमने वहां के युवाओं की आकांक्षाओं और उनके भविष्य पर खेलों से जुड़ी गतिविधियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा। इस दौरान विभिन्न खेल स्थलों का आधुनिकीकरण किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रशिक्षक उपलब्ध कराए गए। स्थानीय स्तर पर फुटबॉल क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाना इन सबमें एक सबसे अनूठी बात रही। इसके परिणाम शानदार निकले। मुझे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी अफशां आशिक का नाम याद आ रहा है। वो

दिसंबर, 2014 में श्रीनगर में पथराव करने वाले एक समूह का हिस्सा थी, लेकिन सही प्रोत्साहन मिलने पर उसने फुटबॉल की ओर रुख किया, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मुझे 'फिट इंडिया डायलॉग्स' के एक कार्यक्रम के दौरान उसके साथ हुई बातचीत याद है, जिसमें मैंने कहा था कि अब 'बेंड इट लाइक बेकहम' से आगे बढ़ने का समय है क्योंकि अब यह 'ऐस इट लाइक अफशां' है। मुझे खुशी है कि अब तो अन्य युवाओं ने किकबॉक्सिंग, कराटे और अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी है।

पंचायत चुनाव भी इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। एक बार फिर, हमारे सामने या तो सत्ता में बने रहने या अपने सिद्धांतों पर अटल रहने का विकल्प था। हमारे लिए यह विकल्प कभी भी कठिन नहीं था और हमने सरकार को गंवाने के विकल्प को चुनकर उन आदर्शों को प्राथमिकता दी, जिनके पक्ष में हम खड़े हैं। जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। पंचायत चुनावों की सफलता ने जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक प्रकृति को इंगित किया। मुझे गांवों के प्रधानों के साथ हुई एक बातचीत याद आती है। अन्य मुद्दों

के अलावा, मैंने उनसे एक अनुरोध किया कि किसी भी स्थिति में स्कूलों को नहीं जलाया जाना चाहिए और स्कूलों की सुरक्षा की जानी चाहिए। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि इसका पालन किया गया। आखिरकार, अगर स्कूल जलाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान छोटे बच्चों का होता है।

5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन हर भारतीय के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। हमारी संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय पारित किया और तब से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में बहुत कुछ बदलाव आया है। न्यायिक अदालत का फैसला दिसंबर 2023 में आया है, लेकिन जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विकास की गति को देखते हुए जनता की अदालत ने चार साल पहले अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने के संसद के फैसले का जोरदार समर्थन किया है।

राजनीतिक स्तर पर पिछले 4 वर्षों को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में फिर से भरोसा जताने के रूप में देखा जाना चाहिये। महिलाओं, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के वंचित वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा था। वहीं,

लद्दाख की आकांक्षाओं को भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन 5 अगस्त, 2019 ने सब कुछ बदल दिया। सभी केंद्रीय कानून अब बिना किसी डर या पक्षपात के लागू होते हैं, प्रतिनिधित्व भी पहले से अधिक व्यापक हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो गई है, बीडीसी चुनाव हुए हैं और शरणार्थी समुदाय, जिन्हें लगभग भुला दिया गया था, उन्हें भी विकास का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है, ऐसी योजनाओं में समाज के सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इनमें सौभाग्य और उज्ज्वला योजनाएं शामिल हैं। आवास, नल से जल कनेक्शन और वित्तीय समावेशन में प्रगति हुई है। लोगों के लिए बड़ी चुनौती रही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। सभी गांवों ने खुले में शौच से मुक्त-ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। सरकारी रिक्तियां, जो कभी भ्रष्टाचार और पक्षपात का शिकार होती थीं, पारदर्शी और सही प्रक्रिया के तहत भरी गई हैं। आईएमआर जैसे अन्य संकेतकों में सुधार दिखा है। बुनियादी ढांचे और पर्यटन में बढ़ावा

सभी देख सकते हैं। इसका श्रेय स्वाभाविक रूप से जम्मू-कश्मीर के लोगों की दृढ़ता को जाता है, जिन्होंने बार-बार दिखाया है कि वे केवल विकास चाहते हैं और इस सकारात्मक बदलाव के वाहक बनने के इच्छुक हैं। इससे पहले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की स्थिति पर सवालिया निशान लगा हुआ था। अब, रिकॉर्ड वृद्धि, रिकॉर्ड विकास, पर्यटकों के रिकॉर्ड आगमन के बारे में सुनकर लोगों को सुखद आश्चर्य होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के अपने फैसले में 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूत किया है। इसने हमें याद दिलाया कि एकता और सुशासन के लिए साझा प्रतिबद्धता ही हमारी पहचान है। आज जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को साफ-सुथरा माहौल मिलता है, जिसमें वह जीवंत आकांक्षाओं से भरे अपने भविष्य को साकार कर सकता है। आज लोगों के सपने बीते समय के मोहताज नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाएं हैं। जम्मू और कश्मीर में मोहभंग, निराशा और हताशा की जगह अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा ने ले ली है। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 252.03 मिलियन टन से बढ़कर 329.69 मिलियन टन हुआ

वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है

देश में खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्षों के दौरान लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 में 252.03 मिलियन टन से बढ़कर 329.69 मिलियन टन हो गया है। इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 3.41% थी।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 12 दिसंबर को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

श्री मुंडा ने बताया कि 2022-23 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल बागवानी उत्पादन 351.92 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 329.69 मिलियन टन से अधिक है। वर्तमान समय में भारत दुनिया में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। केला, नींबू, पीपता, भिंडी जैसी कई फसलों के उत्पादन में देश पहले स्थान पर है।

भारत सरकार और राज्य सरकारों की सक्रिय नीतियों और पहलों

तथा बेहतर फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं के कारण देश में बागवानी उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है।

बागवानी के समग्र विकास, क्षेत्रफल बढ़ाने, उत्पादन और फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 2014-15 से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र प्रायोजित योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रही है। एमआईडीएच के तहत गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, फलों, सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती और कटाई के बाद के प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी विकास के लिए राज्य सरकारों के परियोजना प्रस्तावों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत भी समर्थन दिया जाता है। ■

प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19,150 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में अन्य रेल परियोजनाओं के साथ लगभग 10,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नये पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर - न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन शामिल है।

उन्होंने वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोहरीघाट-मऊ मेमू ट्रेन और नये समर्पित फ्रेड कॉरिडोर पर दो लॉन्ग हॉल

मालगाड़ियों को रवाना किया। श्री मोदी ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 370 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण के साथ-साथ ग्रीन-फील्ड शिवपुर-फुलवरिया-लहरतारा मार्ग का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की जाने वाली अन्य प्रमुख परियोजनाओं में 20 सड़कों का सुदृढ़ीकरण और उन्हें चौड़ा करना शामिल है, कैथी गांव में संगम घाट रोड और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आवासीय भवनों का निर्माण, पुलिस लाइन और पीएसी भुल्लनपुर में





200 और 150 बेड के दो बहुमंजिला बैरक भवन, 9 स्थानों पर स्मार्ट बस शेल्टर और अलईपुर में 132 किलोवाट का सबस्टेशन शामिल है। उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एकीकृत पर्यटक पास प्रणाली का शुभारंभ भी किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 6500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट का सौर पार्क और 1050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से मिर्जापुर में नया पेट्रोलियम तेल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसमें 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से वाराणसी-भदोही राष्ट्रीय राजमार्ग 731 बी (पैकेज-2) का चौड़ीकरण; 280 करोड़ रुपये की लागत से जल जीवन मिशन के तहत 69 ग्रामीण पेयजल योजनाएं और विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री उपस्थित थे।

प्रधानमंत्रीजी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया। श्री मोदी ने स्टॉलों का भ्रमण किया और विकसित भारत यात्रा वैन एवं क्विज कार्यक्रम का भी दौरा किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्रीजी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प शपथ भी दिलाई गई।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्रीजी ने पूरे भारत में अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी संसद सदस्यों की भागीदारी की पुष्टि करते हुए कहा कि वह खुद एक सांसद और शहर के 'सेवक' के रूप में वाराणसी में वीबीएसवाई में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने योग्य लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से और बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा, "लाभार्थियों को सरकार के पास भागने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय सरकार को लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए।"

यह बताते हुए कि पीएमएवाई के तहत 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं, श्री मोदी ने हर योजना के पूरे होने की आवश्यकता बताई और उन लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया जो पीछे छूट गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीबीएसवाई का लक्ष्य लाभार्थियों के अनुभव को रिकॉर्ड करना है, साथ ही उन लोगों को भी शामिल करना है जो अब तक पीछे छूट गए हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वर्वेद महामंदिर का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया। श्री

मोदी ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मंदिर परिसर का भ्रमण किया।

उन्होंने कहा, "स्वर्वेद महामंदिर भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक ताकत का एक आधुनिक प्रतीक है।" प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की सुंदरता और आध्यात्मिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे 'योग और ज्ञान' तीर्थ बताया।

भारत के आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक गौरव को स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कभी भी भौतिक प्रगति को भौगोलिक विस्तार या शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा कि हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों के माध्यम से भौतिक प्रगति की है। श्री मोदी ने जीवंत काशी, कोणार्क मंदिर, सारनाथ, गया स्तूप और नालंदा तथा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि इन आध्यात्मिक संरचनाओं के आसपास भारत की वास्तुकला अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंची है।

प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम 2023 का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कन्याकुमारी-वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर तिरुक्कुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद को भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया।

काशी तमिल संगमम का उद्देश्य देश की दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों, तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाते हुए हुए इनकी पुष्टि करना और इनका पुनःअन्वेषण करना है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। ■



संसद का शीतकालीन सत्र

संसद के दोनों सदनों ने 19 विधेयक किए पारित

संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर, 2023 को आरंभ हुआ तथा 21 दिसंबर, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र में 18 दिनों की अवधि में 14 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान 12 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए और 18 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए तथा 17 विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किए गए। तीन विधेयक लोकसभा की अनुमति से वापस लिये गये, जबकि एक विधेयक राज्यसभा की अनुमति से वापस लिया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 19 है

संसद के शीतकालीन के दौरान 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले खंड और 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांगों पर चर्चा की गई। तदुपरांत पूर्ण रूप से मतदान किया गया। संबंधित विनियोग विधेयकों को 12 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, उन पर करीब 5 घंटे 40 मिनट की बहस हुई और उन्हें पारित किया गया। राज्यसभा ने इन विधेयकों को लगभग 22 मिनट की बहस के बाद 19 दिसंबर, 2023 को वापस कर दिया।

पीड़ित-केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयक अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। इन सभी विधेयकों ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह ले ली है।

दोनों सदनों द्वारा पारित प्रमुख विधेयक

- **अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023** द्वारा कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 को निरस्त किया गया है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- **जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023** द्वारा जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में 'कमजोर और वंचित वर्गों (सामाजिक जातियों)' के नामकरण को 'अन्य पिछड़ा वर्ग' में बदला गया है।
- **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023** में जम्मू व कश्मीर विधानसभा में दो से अधिक सदस्यों का नामांकन प्रदान करने का प्रावधान है, जिनमें से एक कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से एक महिला होगी और एक सदस्य

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर से जम्मू में विस्थापित व्यक्ति होगा।

- **केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023** तेलंगाना में एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।
- **निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2023** का उद्देश्य 76 निरर्थक और घिसे-पिटे कानूनों को निरस्त करना है।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023** द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा अधिनियम, 2011 की वैधता को 01.01.2024 से 31.12.2026 तक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रयास किया गया है, ताकि की जगह दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि) विधेयक, 2023** मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल की अवधि, लेनदेन की प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास है, जो चुनाव आयोग द्वारा व्यवसाय और उससे जुड़े मामलों के लिए है।
- **प्रेस और पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023** का उद्देश्य प्रेस, पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों का प्रावधान करना है।
- **दूरसंचार विधेयक, 2023** दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने का प्रयास है; स्पेक्ट्रम का असाइनमेंट। यह विधेयक उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में है। ■



पारित किए गए प्रमुख विधेयकों का महत्व

औपनिवेशिक युग की आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रतिस्थापन

औपनिवेशिक युग के कानूनों के स्थान पर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए संसद द्वारा तीन विधेयक अर्थात् भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) संहिता, 2023 पारित किए गए हैं। वर्तमान सामाजिक विषयों को संबोधित करने के लिए विधेयक महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और इसमें कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है। ये विधेयक भारतीयता में निहित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली बनाने के लिए साक्ष्य के प्रसंस्करण के लिए नए दिशानिर्देश भी निर्धारित करते हैं और इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी, जांच, पूछताछ और मुकदमे की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं।

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ की मोदी की गारंटी लागू करना

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 और केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 के पारित होने के माध्यम से मोदी सरकार ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं पुदुचेरी की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। यह अग्रगामी पहल लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिक विविध और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए तैयार की गई है।

दूरसंचार विधेयक, 2023

दूरसंचार विधेयक, 2023 का पारित होना भारतीय दूरसंचार सुधार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह भारतीय दूरसंचार को भविष्य के लिए उपयुक्त ढांचा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जो नए भारत की विकास की आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। यह अंतरराष्ट्रीय मानकों की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत, भविष्य के लिए कानूनी ढांचा तैयार करेगा और स्पेक्ट्रम प्रबंधन में कानूनी निश्चितता को सुनिश्चित करेगा। यह केंद्र सरकार को दूरसंचार उपकरण और बुनियादी ढांचे, दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह नागरिकों के हित और राष्ट्रीय हित को पूरी तरह संतुलित करता है।

लोकसभा से पारित विधेयक

- ▶ अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2023
- ▶ विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ डाकघर विधेयक, 2023
- ▶ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
- ▶ भारतीय न्याय संहिता, 2023
- ▶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- ▶ भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
- ▶ दूरसंचार विधेयक, 2023
- ▶ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि) विधेयक, 2023
- ▶ प्रेस और पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023

राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयक

- ▶ डाकघर विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, 2023
- ▶ जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रशासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ विनियोग (सं. 3) विधेयक, 2023
- ▶ विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2023
- ▶ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
- ▶ करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
- ▶ भारतीय न्याय संहिता, 2023
- ▶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- ▶ भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
- ▶ दूरसंचार विधेयक, 2023

आपराधिक कानून विधेयकों पर केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब

तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर बनाए गए हैं: अमित शाह

आपराधिक कानून विधेयकों पर संसद में हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि 'भारतीय न्याय संहिता' आतंकवाद का सटीक चित्रण प्रदान करती है, राजद्रोह को एक अपराध के रूप में समाप्त करती है और 'राज्य के विरुद्ध अपराध' पर एक नया खंड प्रस्तुत करती है

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि तीनों विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया और सदन में मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले मसौदा कानून में अल्पविराम और पूर्ण विराम सहित हर विवरण की सम्पूर्ण जांच की गयी थी।

उन्होंने नए कानून में राजद्रोह को हटाने पर जोर देते हुए कहा, "हमने एक व्यक्ति विशेष के स्थान पर मातृभूमि को प्राथमिकता दी है। राजद्रोह (यहां राजद्रोह का अर्थ राज यानी ब्रिटिश राज के विरुद्ध किये गए अपराध से है) को देशद्रोह (देश या मातृभूमि के विरुद्ध अपराध) से बदल दिया गया है।" श्री शाह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि गांधी, तिलक और पटेल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को इस ब्रिटिश कानून के अंतर्गत कारावास का सामना करना पड़ा था, फिर भी विपक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान इस औपनिवेशिक कानून को रद्द नहीं किया।

श्री असदुद्दीन ओवैसी (ए.आई.एम.आई.एम., हैदराबाद, तेलंगाना) द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस देश में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने पर जेल में नहीं डाला जाएगा। हालांकि, उन्होंने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति देश के हितों के विरुद्ध बोलने, झंडे को नुकसान पहुंचाने या देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्यों में संलिप्त रहेगा उसे कारावास की सजा हो सकती है।

श्री शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) ऐसे कानूनों के उदाहरण हैं जो एक औपनिवेशिक विश्व दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं, जो न्याय



से ऊपर सजा को प्राथमिकता देता है। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि औपनिवेशिक कानूनों के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों, मानवाधिकारों, सीमा सुरक्षा और सेना के विरुद्ध अपराधों को 'खजाना लूटना', 'रेल की पटरियां उखाड़ना' और 'ताज का अपमान' जैसे अपराधों के समान प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

पिछले कानूनों में बलात्कार को धारा 375-376 के अंतर्गत और हत्या को धारा 302 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, लेकिन नया बिल इन अपराधों को फिर से परिभाषित करता है, बलात्कार को धारा 63 के अंतर्गत और हत्या को धारा 101 के अंतर्गत रखता है। इसी तरह, अपहरण, जो पहले धारा 359 के अंतर्गत था, अब धारा 136 के अंतर्गत संबोधित किया जाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार महिलाओं और नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता दी है।

केंद्रीय मंत्री ने सदन को बताया कि तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर बनाए गए हैं। उन्होंने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और अनुच्छेद 370 को रद्द करने, 70 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में AFSPA में कमी, तीन तलाक पर रोक और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन को उल्लेखनीय उपलब्धियों के रूप में बताया। ■

प्रधानमंत्री ने सूरत डायमंड बोर्स व सूरत हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 दिसंबर को गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री पंचतत्व उद्यान भी देखने गए, सूरत डायमंड बोर्स और स्पाइन-4 का हरित भवन भी देखा तथा आगंतुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इस समारोह से पहले, प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत शहर की भव्यता में हीरे जैसी एक और नई विशेषता जुड़ गई है। “यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा है”, श्री मोदी ने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा कि सूरत डायमंड बोर्स



की भव्यता दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों से भी शानदार है।

उन्होंने इतने बड़े मिशन की सफलता का श्रेय श्री वल्लभभाई लखानी और श्री लालजीभाई पटेल की विनम्रता और सभी को साथ लेकर चलने की भावना को दिया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स की पूरी टीम को बधाई दी।

सूरत के लिए दो अन्य उपहारों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने सूरत में एक नए हवाई अड्डे के टर्मिनल के उद्घाटन और सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने का उल्लेख किया। सभा में उपस्थित लोगों ने लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने पर खड़े होकर तालियां बजाईं। ■



कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान! सदस्यता प्रपत्र



नाम :
पूरा पता :
.....
..... पिन :
दूरभाष : मोबाइल : (1)..... (2).....
ईमेल :

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	<input type="checkbox"/>
	तीन वर्ष	₹1000/-	<input type="checkbox"/>	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	<input type="checkbox"/>

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. : दिनांक : बैंक :

नोट : डीडी / चेक 'कमल संदेश' के नाम देय होगा।

मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

**कमल
संदेश**

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकजी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका



वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 18 दिसंबर, 2023 को 19,150 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 17 दिसंबर, 2023 को 'काशी तमिल संगमम 2023' का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



दिल्ली में 13 दिसंबर, 2023 को वर्ष 2001 के संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2023 को ओमान के सुल्तान महामहिम सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



11 दिसंबर, 2023 को 'विकसित भारत@2047: युवाओं की आवाज' कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर संबोधन देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 दिसंबर, 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी



कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

kamal.sandesh

@KamalSandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एच.ओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"

36 पृष्ठ कवर सहित

प्रकाशन तिथि: 30 दिसंबर, 2023

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23

Licence to Post without Prepayment

Licence No. U(S)-41/2021-23



पहचान
अपने काम को पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें और अपनी पहचान बनायें।

सशक्तिकरण
कार्यों को प्रभावी ढंग और कुशलता से पूरा करके अपनी क्षमता का अनुभव करें।

नेटवर्किंग
पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ें जो अच्छा काम कर रहे हैं।

सहभागिता
समावेशी विकास को शक्ति प्रदान करने वाले विचारों और प्रयासों की सामूहिक शक्ति का लाभ उठाएं।

पीएम मोदी से जुड़ें

नरेन्द्र मोदी ऐप !!

प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ने के लिए

1800-2090-920

पर मिस कॉल करें!

#HamaraAppNaMoApp

इस QR कोड को स्कैन करके नमो ऐप को डाउनलोड करें।

नमो ऐप के संबंध में सहायक जानकारी प्राप्त करें। नमो ऐप डाउनलोड करें।

छायाकार: अजय कुमार सिंह